अभद्र भाषा, आईपीसी की धारा 295A और न्यायालयी व्याख्या

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं	**द्वितीय :** मौलिक अधिकार, विधि आयोग, आईपीसी

प्रसंग

भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को लेकर चल रहे विमर्श ने उस कानून पर प्रकाश डाला है, जो धर्म की आलोचना या अपमान से संबंधित है।

ज्ञातव्य है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधान, मुख्य रूप से धारा 295ए मुक्त भाषण की रूपरेखा और धर्म से संबंधित अपराधों के संबंध में इसकी सीमाओं को परिभाषित करते हैं।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295 ए दोषी माना जाएगा, यदि वह

भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है

अथवा

धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है

अथवा

इससे संबंधित वक्तव्य देता है।

औपचारिक कानूनी ढांचा की स्थिति

अभद्र भाषा से निपटने के लिए भारत के पास औपचारिक कानूनी ढांचा नहीं है।

यद्यपि, प्रावधानों का एक समूह, जिसे शिथिल रूप से अभद्र भाषा कानून कहा जाता है, लागू किया जाता है।

ये मुख्य रूप से धर्मों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कानून हैं।

हेट स्पीच से आशय

- हेट स्पीच के अंतर्गत किसी भी ऐसी बात, हरकत या भाव को उल्लिखित किया जाता है, जिसे बोलने, लिखने अथवा दृश्य रूप में प्रसारित करने पर हिंसा के भड़कने, धार्मिक भावना के आहत होने अथवा किसी समूह या समुदाय के मध्य धर्म, नस्ल, जन्मस्थान और भाषा के आधार पर विद्वेष उत्पन्न होने की आशंका होती है।

दंड के प्रावधान

- दोषी पाए गए ऐसे व्यक्ति को अधिकतम दो वर्ष तक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है अथवा फिर उसे दोनों ही तरह से दण्डित किया जा सकता है।
- विदित है कि यह एक संज्ञेय अपराध है, जो गैर जमानती है। ऐसे मामलों की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, धारा 295A और धारा 66A

- राज्य भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के साथ धारा 295A का आह्वान करता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव और धारा के रख-रखाव के लिए प्रतिकूल कार्य करने को दंडित करता है।
- विदित है कि आईपीसी की धारा सार्वजनिक शरारत करने वाले बयानों 505के लिए दंड का प्रावधान करती है।
- साथ ही ,ऐसे मामलों में जहां इस तरह का भाषण ऑनलाइन दिया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A प्रभावी होता है ,जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश प्रेषित करने पर दंड का प्रावधान करता है, संबद्ध किया जाता है।
- में 2015 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में धारा ए को इस आधार पर असंवैधानिक करार 66 अ" दिया कि यह प्रावधानस्पष्ट था। "स्वतंत्र भाषण का उल्लंघन" और "

अभद्र भाषा से संबद्ध अन्य प्रावधान

- धारा (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ अभिकथन) बी153राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
- धारा किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने 298की मंशा से कोई शब्द उच्चारित करने से संबद्ध दंड की व्यवस्था करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, का भाग 1951VII अभद्र भाषा को चुनाव के दौरान किए गए अपराध के रूप में दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध। आरपीए में अभद्र भाषा के संबंध में प्रासंगिक प्रावधान धारा 8, ए8, 123(3), 123(हैं। 125 और (ए3
- अभद्र भाषा विमर्श की सीमा में, आदर्श आचार संहिता ,महत्व रखती है (एमसीसी)क्योंकि एमसीसी पार्टियों और उम्मीदवारों को वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील करने पर रोक लगाता है ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) बनाम हेट स्पीच

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, यद्यपि यह अधिकार पूर्ण नहीं है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (2) सरकार को निम्नलिखित मुद्दों के लिए स्वतंत्र भाषण पर कुछ प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है - राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना और भारत की संप्रभुता और अखंडता।
- ज्ञातव्य है कि बोलने की आजादी का अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है, जहां से अभद्र भाषा शुरू होती है।

विभिन्न समितियों के प्रस्ताव

टीके विश्वनाथन समिति

- इसने ऑनलाइन अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानूनों की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इसने धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता के आधार पर अपराध करने के लिए उकसाने के लिए आईपीसी में धारा सी 153 ए 505 और धारा (बी)की संस्तुति की।
- साथ ही इस समिति ने 5, जुर्माने के साथ दो 000वर्ष तक की सजा का प्रस्ताव रखा।

बेजबरुआ समिति

- इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा में पूर्वोत्तर से सं 2014बंधित व्यक्तियों पर नस्लीय हमलों की एक श्रृंखला के दृष्टिगत किया गया था।
- इसने आईपीसी में दो कठोर नस्लीय भेदभाव प्रावधानों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था।
- प्रस्तावित संशोधन आईपीसी की धारा 153सी (मानव गरिमा के प्रतिकूल कृत्यों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना) में संशोधन करके पांच वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों किये जाने की संस्तुति की।
- साथ ही धारा शब्द) ए आईपीसी 509, इशारा या किसी विशेष जाति के सदस्यों का अपमान करने का इरादा(में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए इसे तीन वर्ष या जुर्माना या दोनों किये जाने का प्रस्ताव रखा।

हेट स्पीच से संबंधित मामले

रंगीला रसूल मामला

- 1920 के दशक में प्रकाशित पुस्तक रंगीला रसूल (द कलरफुल पैगम्बर) नामक पुस्तक के प्रकाशक राजपाल के विरुद्ध धारा 153ए के तहत मुकदमा चलाया गया।
- मजिस्ट्रेट ने प्रकाशक राजपॉल को धारा ए153के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही ,लाहौर उच्च न्यायालय ने माना कि एक धार्मिक नेता पर प्रथम दृष्टया धारा "अपमानजनक और बेईमानी से हमला" ए के 153अंतर्गत आएगा।

- व्याख्या में इस विमर्श ने औपनिवेशिक सरकार को इन मुद्दों के प्रभावी निराकरण के लिए व्यापक दायरे के साथ धारा 295A अधिनियमित करने के लिए प्रेरित किया।

रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957)

- में 1957रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 295A की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कानून को इस आधार पर बरकरार रखा कि इसे को बनाए रखने "सार्वजनिक व्यवस्था" के लिए लाया गया था।सार्वजनिक व्यवस्था के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त धर्म के अधिकार की छूट है।

बाबा खलील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1960)

- बाबा खलील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में के एक 1960निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने उल्लिखित किया कि अभियुक्त के ,को न केवल प्रश्न में भाषण से "दुर्भावनापूर्ण इरादे"बल्कि बाहरी स्रोतों से भी निर्धारित किया जा सकता है।

बरगुर रामचंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007)

- बरगुर रामचंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट के के 2007एक निर्णय में धारा ए की 295 लागू किया गया था। "एक व्यावहारिक दृष्टिकोण" व्याख्या करने में
- राज्य सरकार ने पुरस्कार विजेता लेखक पीवी नारायण द्वारा लिखे गए कन्नड़ उपन्यास धर्मकरण पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी कि यह अभद्र भाषा थी, जिसमें धारा 295 ए सहित कई प्रावधान शामिल थे।

प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014)

- उच्चतम न्यायालय ने प्रभावित समुदाय द्वारा प्रतिक्रिया देने की क्षमता और अभद्र भाषण के प्रोत्साहन के मध्य संबंध को रेखांकित किया।

जी. थिरुमुरुगन गांधी बनाम मद्रास राज्य (2019)

- मद्रास उच्च न्यायालय ने उल्लिखित किया कि घृणास्पद भाषण विभिन्न वर्गों के मध्य वैमनस्य का कारण बनते हैं फलतः ,लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े दायित्वों को ध्यान में रखना चाहिये।

हेट स्पीच बनाम कर्नाटक राज्य (2020)

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'हेट स्पीच बनाम कर्नाटक राज्य (2020)' मामले में स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता विद्वेष को प्रोत्साहन देने वाले अथवा विभिन्न वर्गों के मध्य सद्भाव को प्रभावित करने वाले भाषणों को अवैध घोषित करती है।

भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट बनाव हेट स्पीच

- भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में उल्लिखित था कि स्वतंत्रता और समानता समकालीन हैं और एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की अवहेलना करना नहीं है, अपितु उन्हें समान महत्व देना है।
- समानता का उद्देश्य इस स्वतंत्रता को रोकना नहीं है, बल्कि इसे एक बहुसांस्कृतिक और बहुल दुनिया की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना है, बशर्ते इस तरह की बाधा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुचित उल्लंघन न करे।

चुनौतियां

- 'अभद्र भाषा' शब्द एक जटिल शब्द है, केवल किसी की आलोचना करना ही अभद्र भाषा नहीं है। फलतः इसकी व्याख्या को लेकर अस्पष्टता का सामना करना पड़ता है।
- यदि कोई धर्म, जाति, पंथ आदि से संबंधित विवादास्पद और संवेदनशील विषयों पर चर्चा करता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो ,प्रश्न मुख्य रूप से उसकी मंशा और उद्देश्य का है ,जिसे परिभाषित करना कठिन है।
- चुनी हुई सरकार की नीतियों को लेकर असहमति व्यक्त करना अथवा उसकी आलोचना करना नैतिक रूप से अनुचित हो सकता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करे।

निष्कर्ष

- भारतीय समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने और देश को आगे ले जाने की दृष्टि वाले विचारों की आवश्यकता है।
- ज्ञातव्य है कि भारत के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार की भांति है ,जो अपने कालातीत आदर्श 'वसुधैव कुटुम्बकम' में समाहित हुआ है। इसी भावना के साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
- सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अधिगम करते हुए कानूनी प्रावधान में आवश्यक संशोधन करना ‘समय की मांग’ है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू